

राजस्थान के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग एवं मीटरिंग पर प्रशिक्षण कार्यशाला

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) में प्रशिक्षण श्रृंखला "ग्रिड से घर तक" की अंतर्गत तीसरी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह श्रृंखला एक उपभोक्ता-केन्द्रित पहल है जिसे राजस्थान बिजली विनियामक आयोग (आरईआरसी) के समर्थन से सेंटर फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड पीपल (सी.ई.ई.पी) के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य राजस्थान में सामाजिक नागरिक संगठनों एवं उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं और आपूर्ति के लिए जागरूक करना है ताकि वे विद्युत क्षेत्र की नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बन सकें। लोक-महत्व के लिए उपयोगी कार्यशाला में, लगभग 52 प्रतिभागियों ने विद्युत बिल और उसके विभिन्न

घटकों की गहरी समझ प्राप्त की। कार्यशाला ने विद्युत बिलिंग के नियम और विनियमों, विद्युत मीटरिंग प्रणालियों की गम्भीरताओं, और उपभोक्ता-केन्द्रित दृष्टिकोण से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा की। कार्यशाला को हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया, जिसमें जयपुर में आरईआरसी मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए एवं वर्चुअल माध्यम में ऑनलाइन जुड़े। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य), पीके गुप्ता ने राजस्थान डिस्कॉम द्वारा निर्धारित आपूर्ति की शर्तों और नियमों में दिए गए विनियमों पर व्यापक रूप से चर्चा की। उन्होंने बिलिंग संबंधित कई मुद्दों पर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किए, जिनमें मीटर पठन, अस्थायी बिलिंग, सुरक्षा जमा, और बिल भिन्न देय शुल्क शामिल थे।